हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला–4, 19 अगस्त, 2010

संख्याः वि0स0/1–40/2010.––हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश माता–पिता और आश्रित भरणपोषण (संशोधन) विधेयक, 2010 (2010 का विधेयक संख्यांक 14) जो दिनांक 19 अगस्त, 2010 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व–साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

आदेश द्वारा,
गोवर्धन सिंह,
सचिव ।

2010 का विधेयक संख्यांक 14

हिमाचल प्रदेश माता–पिता और आश्रित भरणपोषण (संशोधन) विधेयक, 2010

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश माता–पिता और आश्रित भरणपोषण अधिनियम, 2001 (2001 का अधिनियम संख्यांक 19) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक।**

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः––

संक्षिप्त नाम।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश माता–पिता और आश्रित भरणपोषण (संशोधन) अधिनियम, 2010 है।

बृहत् नाम का प्रतिस्थापन।

2. हिमाचल प्रदेश माता–पिता और आश्रित भरणपोषण अधिनियम, 2001 (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) के विद्यमान बृहत् नाम के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:––

''संविधान के अधीन गारंटीकृत और मान्यताप्राप्त माता–पिता, आश्रित और वरिष्ठ नागरिकों के भरणपोषण तथा कल्याण के लिए अधिक प्रभावी उपबन्धों का और उनसे सम्बन्धित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम ।''।

धारा 1 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 1 में,––

(क) उपधारा (1) में ''माता–पिता और आश्रित भरणपोषण'' शब्दों और चिन्ह के स्थान पर ''माता–पिता, वरिष्ठ नागरिकों और आश्रितों का भरणपोषण तथा कल्याण'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे; और

(ख) उपधारा (3) में ''मुसलमानों के सिवाय'' शब्दों का लोप किया जाएगा।

धारा 2 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 2 में,––

(क) खण्ड (क), (ख), (ग) और (ज) का लोप किया जाएगा;

(ख) खण्ड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:––

''(ङ) ''भरणपोषण अधिकारी'' से धारा 13 के अधीन नियुक्त भरणपोषण अधिकारी अभिप्रेत है;'';

(ग) खण्ड (झ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:–

''(झ) ''अधिकरण'' से धारा 14 के अधीन स्थापित भरणपोषण अधिकरण अभिप्रेत है;''; और

(घ) इस प्रकार प्रतिस्थापित खण्ड (झ) के पश्चात् निम्नलिखित नए खण्ड अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:––

''(ञ) ''बालक'' के अन्तर्गत पुत्र, पुत्री, पौत्र और पौत्री हैं, किन्तु इसमें कोई अवयस्क सम्मिलित नहीं है;

(ट) ''भरणपोषण'' में आहार, वस्त्र, निवास और चिकित्सीय परिचर्या तथा उपचार उपलब्ध कराना सम्मिलित है;

(ठ) ''माता–पिता'' से पिता या माता अभिप्रेत है , चाहे वह, यथास्थिति, जैविक, दत्तक या सौतेला पिता या सौतेली माता है, चाहे माता या पिता वरिष्ठ नागरिक है या नहीं;

(ड) ''नातेदार'' से निःसंतान वरिष्ठ नागरिक का कोई विधिक वारिस अभिप्रेत है, जो अवयस्क नहीं है तथा उसकी मृत्यु के पश्चात् उसकी सम्पत्ति उसके कब्जे में है या विरासत में प्राप्त करेगा;

(ढ) ''वरिष्ठ नागरिक'' से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो भारत का नागरिक है और जिसने साठ वर्ष या अधिक आयु प्राप्त कर ली है; और

(ण) ''कल्याण'' से वरिष्ठ नागरिकों के लिए आवश्यक आहार, स्वास्थ्य देखरेख, आमोद–प्रमोद केन्द्रों और अन्य सुख–सुविधाओं की व्यवस्था करना अभिप्रेत है।''।

5. मूल अधिनियम की धारा 3 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:– धारा 3 का प्रतिस्थापन।

''3. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना.––इस अधिनियम के उपबन्धों का, इस अधिनियम से भिन्न किसी अधिनियमिति में अन्तर्विष्ट उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभाव होगा।''।

6. मूल अधिनियम की धारा 4 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:– धारा 4 का प्रतिस्थापन।

''4. माता–पिता, वरिष्ठ नागरिकों और आश्रितों का भरणपोषण.––(1) कोई वरिष्ठ नागरिक, माता–पिता या आश्रित जो स्वयं के अर्जन से या उसके स्वामित्वाधीन सम्पत्ति में से स्वयं का भरणपोषण करने में असमर्थ है,––

(i) माता–पिता या पितामह–पितामही की दशा में, अपने एक या अधिक बालकों के विरूद्ध, जो अवयस्क नहीं हैं;

(ii) किसी निःसंतान वरिष्ठ नागरिक की दशा में, अपने ऐसे नातेदार के विरूद्ध, जो धारा 2 के खण्ड (ड) में निर्दिष्ट है; और

(iii) आश्रित की दशा में, ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध जो ऐसे आश्रित का भरणपोषण करने के लिए दायी है;

धारा 5 के अधीन आवेदन करने का हकदार होगा।

(2) किसी वरिष्ठ नागरिक का भरणपोषण करने के लिए, यथास्थिति, बालक या नातेदार की बाध्यता ऐसे नागरिक की आवश्यकताओं, जिससे वरिष्ठ नागरिक एक सामान्य जीवन व्यतीत कर सके तक विस्तारित होती है।

(3) अपने माता–पिता का भरणपोषण करने की बालक की बाध्यता, यथास्थिति, ऐसे माता–पिता अथवा पिता या माता या दोनों की आवश्यकता, जिससे ऐसे माता–पिता, सामान्य जीवन व्यतीत कर सके, तक विस्तारित होती है।

(4) कोई व्यक्ति, जो किसी वरिष्ठ नागरिक का नातेदार है और जिसके पास पर्याप्त साधन हैं, ऐसे वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण करेगा,

परन्तु यह तब जब कि ऐसे वरिष्ठ नागरिक की सम्पत्ति उसके कब्जे में है या वह ऐसे वरिष्ठ नागरिक की सम्पत्ति को विरासत में प्राप्त करेगाः

परन्तु जहां वरिष्ठ नागरिक की सम्पत्ति को एक से अधिक नातेदार विरासत में प्राप्त करने के हकदार हैं, वहां भरणपोषण, ऐसे नातेदारों द्वारा उस अनुपात में संदेय होगा, जिस अनुपात में वे उसकी सम्पत्ति को विरासत में प्राप्त करेंगे।

(5) यह––

(i) पत्नी की दशा में पति की;

(ii) अवस्यक पुत्र या अविवाहित पुत्री की दशा में पिता या माता की; और

(iii) आश्रित (माता–पिता, पितामह–पितामही, पत्नी, अवयस्क पुत्र या अविवाहित पुत्री से अन्यथा) की दशा में, व्यक्ति, जो उसका हिस्सा लेता, यदि ऐसे आश्रित ने अपने पूर्वज की किसी सम्पदा का कोई हिस्सा निर्वसीयती उत्तराधिकार की वसीयती द्वारा प्राप्त नहीं किया है,

की बाध्यता होगी कि वह ऐसे आश्रित का भरणपोषण करे ताकि ऐसा आश्रित एक सामान्य जीवन व्यतीत कर सके।''।

धारा 5 का प्रतिस्थापन।

7. मूल अधिनियम की धारा 5 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:––

''5. भरणपोषण के लिए आवेदन.––(1) धारा 4 के अधीन भरणपोषण के लिए कोई आवेदन,––

(क) यथास्थिति, किसी वरिष्ठ नागरिक, किसी माता–पिता या आश्रित द्वारा किया जा सकेगा; या

(ख) यदि वह अशक्त है, तो उसके द्वारा प्राधिकृत संगठन द्वारा किया जा सकेगा; या

(ग) अधिकरण स्वप्रेरणा से संज्ञान ले सकेगा।

स्पष्टीकरणः––इस धारा के प्रयोजन के लिए ''संगठन'' से सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 या हिमाचल प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2007 या राज्य सरकार द्वारा इस अधि ानियम के प्रयोजन के लिए इस प्रकार तत्समय प्रवृत्त और अधि ासूचित किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई स्वैच्छिक संगम अभिप्रेत है।

(2) अधिकरण, इस धारा के अधीन भरणपोषण के लिए मासिक भत्ते की बाबत कार्यवाही के लम्बित रहने के दौरान, ऐसे व्यक्ति, बालक या नातेदार को, यथास्थिति, ऐसे वरिष्ठ नागरिक, माता–पिता या आश्रित के अन्तरिम भरण– पोषण के लिए मासिक भत्ता देने और ऐसे वरिष्ठ नागरिक को, जिसके अन्तर्गत माता–पिता या आश्रित भी हैं, उसका संदाय करने का आदेश कर सकेगा, जो अधिकरण समय–समय पर निदेशित करे।

(3) उपधारा (1) के अधीन भरणपोषण के लिए आवेदन की प्राप्ति पर, प्रतिवादी को आवेदन की सूचना देने के पश्चात् और पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, भरणपोषण की रकम का अवधारण करने के लिए कोई जांच कर सकेगा।

(4) भरणपोषण के लिए मासिक भत्ते हेतु और कार्यवाही के खर्चे के लिए उपधारा (2) के अधीन फाइल किए गए किसी आवेदन का, आवेदन की सूचना की तामील की तारीख से नब्बे दिन के भीतर निपटान किया जाएगाः

परन्तु अधिकरण, आपवादिक परिस्थितियों में उक्त अवधि को, लिखित में कारणों को अभिलिखित करते हुए, एक बार में तीस दिन की अधि ाकतम अवधि के लिए, विस्तारित कर सकेगा।

(5) उपधारा (1) के अधीन भरणपोषण के लिए कोई आवेदन, एक या अधिक व्यक्तियों के विरूद्ध फाइल किया जा सकेगाः

परन्तु, यथास्थिति, ऐसा व्यक्ति, बालक या नातेदार, भरणपोषण के लिए आवेदन में, माता–पिता का भरणपोषण करने के लिए दायी अन्य व्यक्ति को पक्षकार बना सकेगा।

(6) जहां भरणपोषण का आदेश एक से अधिक व्यक्तियों के विरूद्ध किया गया था, वहां उनमें से एक व्यक्ति की मृत्यु से भरणपोषण का संदाय जारी रखने के अन्य व्यक्तियों के दायित्व पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(7) भरणपोषण के लिए कोई ऐसा भत्ता और कार्यवाही के खर्चे आदेश की तारीख से या, यदि ऐसा आदेश किया जाता है, यथास्थिति, भरणपोषण या कार्यवाही के खर्चे, आवेदन की तारीख से, संदेय होंगे।

(8) यदि व्यक्ति, बालक या नातेदार, ऐसा आदेश दिया जाता है, पर्याप्त हेतुक के बिना आदेश का पालन करने में असफल रहते हैं, तो कोई ऐसा अधिकरण, आदेश के प्रत्येक भंग के लिए, जुर्माने का उद्ग्रहण करने हेतु, उपबन्धित रीति में देय रकम के उद्ग्रहण का वारंट जारी कर सकेगा और ऐसे व्यक्ति को, यथास्थिति, प्रत्येक मास के सम्पूर्ण भरणपोषण भत्ते या उसके किसी भाग के लिए और कार्यवाही के खर्चे के लिए, ऐसे वारंट के निष्पादन के पश्चात् असंदत्त शेष भाग के लिए कारावास से, जो एक मास तक का हो सकेगा या यदि संदाय शीघ्र किया जाता है तो संदाय करने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, दण्डादिष्ट कर सकेगाः

परन्तु इस धारा के अधीन देय किसी रकम की वसूली के लिए तब तक कोई वारण्ट जारी नहीं किया जाएगा, जब तक ऐसी रकम के उद्ग्रहण के लिए अधिकरण को, उस तारीख से जिसको यह देय हो जाती है, तीन मास की अवधि के भीतर आवेदन नहीं कर दिया जाता ।''।

धारा 6 का प्रतिस्थापन।

8. मूल अधिनियम की धारा 6 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:––

''6. अधिकारिता और प्रक्रिया.––(1) किसी व्यक्ति, बालक या नातेदार के विरूद्ध धारा 5 के अधीन कार्यवाहियां किसी ऐसे जिले में आरम्भ की जा सकेगी,–

(क) जहां वह निवास करता है या उसने अंतिम बार निवास किया है; या

(ख) जहां बालक या नातेदार निवास करता है।

(2) धारा (5) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर, अधिकरण, उस व्यक्ति, बालक या नातेदार, जिसके विरूद्ध आवेदन फाइल किया गया है, की उपस्थिति उपाप्त करने के लिए आदेशिका जारी करेगा।

(3) ऐसे व्यक्ति, बालक या नातेदार की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए अधिकरण को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन यथा उपबन्धित प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां होंगी। 1974 का 2

(4) ऐसी कार्यवाहियों के सभी साक्ष्य, उस व्यक्ति, बालक या नातेदार जिसके विरूद्ध भरणपोषण के संदाय के लिए आदेश किया जाना प्रस्तावित है, की उपस्थिति में लिए जाएंगे और समन मामलों के लिए विहित रीति में अभिलिखित किए जाएंगेः

परन्तु यदि अधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति, बालक या नातेदार, जिसके विरूद्ध भरणपोषण के संदाय के लिए आदेश किया जाना प्रस्तावित है, जानबूझकर तामील से बच रहा है, या जानबूझकर अधिकरण में उपस्थित होने की उपेक्षा कर रहा है, तो अधिकरण, मामले की एकपक्षीय रूप से सुनवाई करने और अवधारित करने के लिए कार्यवाही कर सकेगा।

(5) जहां ऐसा व्यक्ति, बालक या नातेदार, भारत से बाहर निवास कर रहा है, वहां अधिकरण द्वारा समन ऐसे प्राधिकारी के माध्यम से तामील किए जाएंगे, जिसे केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे।

(6) अधिकरण धारा 5 के अधीन आवेदन की सुनवाई करने से पूर्व, उसे सुलह अधिकारी को निर्दिष्ट कर सकेगा और ऐसा सुलह अधिकारी अपने निष्कर्षों को एक मास के भीतर प्रस्तुत करेगा और यदि सौहाद्रपूर्ण सुलह हो जाती है तो अधिकरण इस आशय का आदेश पारित करेगा।

स्पष्टीकरणः—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए ''सुलह अधिकारी'' से धारा 5 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति

या संगठन का प्रतिनिधि या धारा 13 के अधीन राज्य सरकार द्वारा अभिहित भरणपोषण अधिकारी या इस प्रयोजन के लिए अधिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है।

धारा 7 का संशोधन।

9. मूल अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) में ''पांच हजार'' शब्दों के स्थान पर ''दस हजार'' शब्द रखे जाएंगे।

नई धारा 8–क का अन्तःस्थापन।

10. मूल अधिनियम की धारा 8 के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

''8–क जांच की दशा में संक्षिप्त प्रक्रिया.––(1) अधिकरण, धारा 5 के अधीन कोई जांच करने में, ऐसे किन्हीं नियमों के अध्यधीन, जो इस निमित्त विहित किए जाएं, ऐसी संक्षिप्त प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो वह आवश्यक समझे।

(2) अधिकरण को साक्ष्य लेने और साक्षियों को हाजिर कराने तथा दस्तावेजों और भौतिक पदार्थों को प्रकट करने का पता कराने और उनको पेश करने के लिए बाध्य करने के प्रयोजन के लिए तथा ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए जो विहित किए जाएं, सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी तथा अधिकरण को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 195 और अध्याय 26 के सभी प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा। 1974 का 2

(3) इस निमित्त बनाए जाने वाले किसी नियम के अध्यधीन, अधिकरण, भरणपोषण के लिए किसी दावे का न्यायनिर्णयन करने और उसका विनिश्चय करने के प्रयोजन के लिए, जांच करने में उसकी सहायता करने के लिए, ऐसे किसी एक या अधिक व्यक्तियों को चुन सकेगा जिनके पास जांच से सुसंगत किसी विषय का विशेष ज्ञान हो।''।

धारा 9 का संशोधन।

11. (क) मूल अधिनियम की धारा 9 में,––

(क) उपधारा (2) में खण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:–

''(घ)''धारा 5 (1) में निर्दिष्ट कोई अन्य व्यक्ति या संगठन; या''; और

(ख) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:––

''(3–क) यदि, यथास्थिति, बालक या नातेदार ऐसे वरिष्ठ नागरिक, जो स्वयं अपना भरणपोषण करने में असमर्थ है , का भरणपोषण करने से उपेक्षा या इन्कार करता है, तो अधिकरण, ऐसी उपेक्षा या इन्कार के बारे में समाधान हो जाने पर, ऐसे बालक या नातेदारों को ऐसे वरिष्ठ नागरिक के भरणपोषण के लिए, ऐसी मासिक दर पर मासिक भत्ता देने का, जैसी अधि ाकरण ठीक समझे और ऐसे वरिष्ठ नागरिक को उस भत्ते का संदाय करने का आदेश दे सकेगा, जैसा अधिकरण समय–समय पर निदेश दें।''।

धारा 11 का संशोधन।

12. मूल अधिनियम की धारा 11 में उपधारा (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

''(7) कार्यवाहियों के व्ययों के सम्बन्ध में आदेश की प्रति सहित, भरणपोषण के आदेश की प्रति, यथास्थिति, उस वरिष्ठ नागरिक या माता–पिता या आश्रित को, जिसके पक्ष में वह आदेश किया गया है, किसी फीस के संदाय के बिना दी जाएगी।''।

नई धारा 12–क का अन्तःस्थापन।

13. मूल अधिनियम की धारा 12 के पश्चात्, निम्नलिखित नई धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

1974 का 2

''12–क. कतिपय मामलों में विकल्प.–दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 9 में किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई वरिष्ठ नागरिक या माता–पिता या आश्रित उक्त अध्याय के अधीन भरणपोषण के लिए हकदार हैं और इस अधिनियम के अधीन भी भरणपोषण के लिए हकदार हैं, वहां, वह उक्त संहिता के अध्याय 9 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उन दोनों अधिनियमों में से किसी के अधीन, ऐसे भरणपोषण का दावा कर सकेगा, किन्तु दोनों के अधीन नहीं।''।

धारा 15 का प्रतिस्थापन।

14. मूल अधिनियम की धारा 15 के स्थान पर निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:–

"15. **भरणपोषण भत्ते का जमा किया जाना.**––जब इस अध्याय के अधीन कोई आदेश किया जाता है तब ऐसा बालक या नातेदार, जिससे ऐसे आदेश के निबन्धनों के अनुसार किसी रकम का संदाय करना अपेक्षित है, अधिकरण द्वारा आदेश सुनाए जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर, आदेशित सम्पूर्ण रकम ऐसी रीति में जमा करेगा, जैसा अधिकरण निदेश दे।

15–क. जहां कोई दावा अनुज्ञात किया जाता है वहां ब्याज का अधिनिर्णय.––जहां कोई अधिकरण इस अधिनियम के अधीन भरणपोषण का कोई आदेश करता है, वहां ऐसा अधिकरण यह निदेश दे सकेगा कि भरणपोषण की रकम के अतिरिक्त, ऐसी दर पर और ऐसी तारीख से, जो आवेदन करने की तारीख से पूर्वतर न हो, जो अधिकरण द्वारा अवधारित की जाए, साधारण ब्याज का भी संदाय किया जाएगा, जो पांच प्रतिशत से कम और अठारह प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।"।

नई धारा 16–क का अन्तःस्थापन।

15. मूल अधिनियम की धारा 16 के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

"**16–क. अपीलें.**––(1) अधिकरण के किसी आदेश द्वारा व्यथित, यथास्थिति, कोई वरिष्ठ नागरिक या कोई माता–पिता या कोई आश्रित, आदेश की तारीख से साठ दिन के भीतर, जिला मजिस्ट्रेट को अपील कर सकेगाः

परन्तु अपील पर, यथास्थिति, कोई व्यक्ति, बालक या रिश्तेदार, जिससे ऐसे भरणपोषण के आदेश के निबन्धनों के अनुसार किसी रकम का संदाय किए जाने की अपेक्षा की गई है, ऐसे माता–पिता को इस प्रकार आदेशित रकम का संदाय, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निदेशित रीति से करता रहेगाः

परन्तु यह और कि जिला मजिस्ट्रेट, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय के भीतर अपील करने से पर्याप्त कारण से निवारित हुआ था, साठ दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी अपील ग्रहण कर सकेगा।

(2) जिला मजिस्ट्रेट, अपील की प्राप्ति पर, प्रत्यर्थी पर सूचना की तामील करवाएगा।

(3) जिला मजिस्ट्रेट उस अधिकरण से, जिसके आदेश के विरूद्ध अपील की जाती है, कार्यवाहियों का अभिलेख मंगवा सकेगा।

(4) जिला मजिस्ट्रेट, अपील और मंगवाए गए अभिलेख की परीक्षा करने के पश्चात् या तो अपील को मंजूर कर सकेगा या खारिज कर सकेगा।

(5) जिला मजिस्ट्रेट, अधिकरण के आदेश के विरूद्ध फाइल की गई अपील का न्यायनिर्णयन और विनिश्चय करेगा तथा जिला मजिस्ट्रेट का आदेश अंतिम होगाः

परन्तु कोई अपील, तब तक खारिज नहीं की जाएगी, जब तक दोनों पक्षकारों को वैयक्तिक रूप से या सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से, सुने जाने का अवसर न दे दिया गया हो।

(6) जिला मजिस्ट्रेट, अपना आदेश अपील की प्राप्ति के एक मास के भीतर लिखित में सुनाने का प्रयास करेगा।

(7) उपधारा (5) के अधीन किए गए प्रत्येक आदेश की एक–एक प्रति दोनों पक्षकारों को निःशुल्क भेजी जाएगी।''।

धारा 17 का प्रतिस्थापन।

16. मूल अधिनियम की धारा 17 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:––

''**17. विधिक अभ्यावेदन का अधिकार.––**किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, अधिकरण या जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष, कार्यवाहियों के किसी पक्षकार का प्रतिनिधित्व, किसी विधि व्यवसायी द्वारा नहीं किया जाएगा।''।

नई धारा 19–क, 19–ख, 19–ग, 19–घ, 19–ङ, 19–च, 19–छ, 19–ज, 19–झ, और 19–ञ का अन्तःस्थापन।

17. मूल अधिनियम की धारा 19 के पश्चात् निम्नलिखित नई धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:––

''**19–क. वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए प्रचार, जागरूकता आदि के उपाय.––**राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित सभी उपाय करेगी कि,––

(i) इस अधिनियम के उपबन्धों का जनमाध्यम, जिसके अंतर्गत टेलीविजन, रेडियो और मुद्रण माध्यम भी है, से नियमित अंतरालों पर व्यापक प्रचार किया जाए;

(ii) राज्य सरकार के अधिकारियों, जिसके अन्तर्गत विधि विभाग के विधि और विधायी विषयों से सम्बद्ध अधिकारी, कार्यकारी मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी और न्यायिक सेवा के सदस्य भी हैं, को इस अधिनियम से सम्बन्धित मुद्दों पर समय–समय पर सुग्राही और जागरूक होने का प्रशिक्षण दिया जाए;

(iii) वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण से सम्बन्धित मुद्दों का समाधान करने के लिए विधि, गृह, स्वास्थ्य और कल्याण से सम्बद्ध विभागों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के बीच प्रभावी समन्वय और उनका कालिक पुनर्विलोकन किया जाए।

19–ख. प्राधिकारी, जिन्हें इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए विनिर्दिष्ट किया जा सकेगा.––(1) राज्य सरकार किसी जिला मजिस्ट्रेट को ऐसी शक्तियां प्रदत्त कर सकेगी और उस पर ऐसे कर्त्तव्य अधिरोपित कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबन्धों का उचित रूप से पालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो, तथा जिला मजिस्ट्रेट अपने अधीनस्थ ऐसे अधिकारी को जो अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट की पंक्ति से नीचे का न हो, जो इस प्रकार प्रदत्त या किसी शक्ति का प्रयोग और अधिरोपित सभी या किसी कर्त्तव्यों का पालन करेगा और वे स्थानीय सीमाएं विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिनके भीतर ऐसी शक्तियों या कर्तव्यों का, जो विहित किए जाएं, उस अधिकारी द्वारा पालन किया जाएगा।

(2) राज्य सरकार वरिष्ठ नागरिकों के जीवन और सम्पत्ति को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक व्यापक कार्य योजना विहित करेगी।

19–ग. वरिष्ठ नागरिकों को अरक्षित छोड़ना और उनका परित्याग.–– जो कोई, जिसके पास वरिष्ठ नागरिक की देखरेख या सुरक्षा है, ऐसे वरिष्ठ नागरिक को किसी स्थान में, ऐसे वरिष्ठ नागरिक का पूर्णतया परित्याग करने के आशय से छोड़ेगा, वह ऐसी अवधि के किसी कारावास से जो तीन मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा।

1974 का 2

19–घ. अपराधों का संज्ञान.––(1) दंड प्रकिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध, संज्ञेय और जमानतीय होगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का, किसी मजिस्ट्रेट द्वारा संक्षिप्त विचारण किया जाएगा।

19–ङ. अधिकारियों का लोक सेवक होना.––इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का प्रयोग करने के लिए नियुक्त किए गए प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारिवृन्द को, लोक सेवक समझा जाएगा।

19–च. सिविल न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन.––किसी सिविल न्यायालय को ऐसे किसी मामले में अधिकारिता नहीं होगी, जिसे इस अधिनियम का कोई उपबन्ध लागू होता है और किसी सिविल न्यायालय द्वारा ऐसी किसी बात की बाबत, जो इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन की गई है या किए जाने के लिए आशयित है, कोई व्यादेश नहीं दिया जाएगा।

19–छ. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण.–– इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए किन्हीं नियमों या किए गए आदेशों के अनुसरण में, सद्भावपूर्क की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के सम्बन्ध में कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी या सरकार के किसी अधिकारी के विरूद्ध न होगी।

19–ज. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति.––यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित ऐसे आदेश द्वारा, जो इस अधिनियम

के उपबन्धों से असंगत न हो, ऐसे उपबन्ध बना सकेगी, जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो:

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के आरम्भ की तारीख से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

19–झ. नियम बनाने की शक्ति.––(1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों के निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा:–

(क) ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो धारा 8–क की उपधारा (1) के अधीन विहित किए जाएं, धारा 5 के अधीन जांच करने की रीति;

(ख) धारा 8–क की उपधारा (2) के अधीन अन्य प्रयोजनों के लिए अधिकरण की शक्ति और प्रक्रिया;

(ग) धारा 19–क की उपधारा (2) के अधीन वृद्धाश्रम के प्रबन्ध के लिए योजना, जिसके अंतर्गत उनके द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं के मानक और विभिन्न प्रकार की सेवाएं भी हैं, जो ऐसे आश्रमों के निवासियों की चिकित्सीय देखरेख और मनोरंजन के साधनों के लिए आवश्यक हो;

(घ) धारा 19–घ की उपधारा (1) के अधीन, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकारियों की शक्तियां और कर्त्तव्य;

(ङ) धारा 19–घ की उपधारा (2) के अधीन वरिष्ठ नागरिकों के जीवन और सम्पत्ति को सुरक्षा प्रदान करने के लिए व्यापक कार्य योजना;

(च) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाना है या विहित किया जाए।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथा शीघ्र राज्य विधान–मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जहां वह दो सदनों से मिलकर बना है या जहां ऐसे विधान–मण्डल में एक सदन है, वहां उस सदन के समक्ष रखा जाएगा।

19–ञ. संक्रमणकालीन उपबन्ध.––हिमाचल प्रदेश माता–पिता और आश्रित भरणपोषण (संशोधन) अधिनियम, 2010 के प्रारम्भ की तारीख को इस अधिनियम के अधीन अपील प्राधिकारी (जिला न्यायाधीश) के समक्ष लम्बित समस्त अपीलें अधिकारिता रखने वाले सम्बद्ध जिला मजिस्ट्रेट को अन्तरित समझी जाएंगी।''।

18. धारा 20, 21, 22 और मूल अधिनियम से संलग्न अनुसूची का लोप किया जाएगा। धारा 20,21,22 और अनुसूची का लोप ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हमारे समाज में वृद्ध माता–पिता का भरणपोषण, एक महत्वपूर्ण विषय होने के साथ–साथ सम्बन्धों की विद्यमानता से उत्पन्न निजी नैतिक दायित्व तथा किसी सम्पत्ति, चाहे वह पैतृक हो या अर्जित हो, से सर्वथा स्वतन्त्र विषय रहा है । हमारे प्राचीन ऋषियों ने इस धारणा को सर्वोच्च स्थान दिया है कि ''वृद्ध माता–पिता, पतिव्रता पत्नी और शिशु का भरणपोषण करना सर्वोपरि कर्त्तव्य है चाहे इसके लिए सैकड़ों दुष्कर्म क्यों न करने पड़ें''। वर्तमान में हमारे संविधान निर्माताओं ने अन्य उपबन्धों सहित अनुच्छेद 38 तथा 41 में अन्तर्विष्ट राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के माध्यम से मुख्य उद्देश्य को सविवेक अधिकथित किया है अर्थात्, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता तथा अनर्ह अभाव के मामले में लोक सहायता प्राप्त करने के लिए प्रभावी उपबन्ध बनाकर कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना तथा सम–सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करना।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के इस विकासशील युग में हमारे पुरातन सद्गुणों का ह्रास हो रहा है और भौतिकवादी और अलगाववादी प्रवृत्तियां पनप रही हैं। युवा पीढ़ी अपनी पत्नी, सन्तान और वृद्ध तथा अशक्त माता–पिता की उपेक्षा कर रही है । वे समाज में रद्दी के देर की तरह, कंगाल और दीनहीन बनने पर और तद्द्वारा अपने जीवन निर्वाह के लिए बेसहारा, अनैतिक और आपराधिक जीवन जीने को विवश हो रहे हैं।

समाज में वृद्ध और अशक्त माता–पिता तथा आश्रितों की उपेक्षा की बढ़ती हुई घटनाओं के दृष्टिगत तथा उन्हें नैतिक दायित्वों जिनकी बाबत वे समाज में अपने परिवार माता–पिता और सन्तान के ऋणी हैं का पालन करने के लिए बाध्य करने हेतु, देश भर में हिमाचल प्रदेश सरकार, हिमाचल प्रदेश माता–पिता और आश्रित भरणपोषण अधिनियम, 2001 द्वारा एक विधि अधिनियमित करने में पथप्रदर्शक रही है।

अब भारत सरकार ने भी एक समरूप विधान नामतः माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 अधिनियमित किया है। दोनों विधानों का उद्देश्य समरूप प्रकृति का है, तथापि, केन्द्रीय अधिनियम अधिक व्यापक है और वरिष्ठ नागरिकों के भरणपोषण, वरिष्ठ नागरिकों के जीवन की सुरक्षा और सम्पत्ति के संरक्षण के लिए व्यापक कार्य योजना बनाने का भी उपबन्ध करता है तथा मुसलमानों को भी लागू होता है जबकि राज्य अधिनियम मुसलमानों को लागू नहीं होता है। इसके अतिरिक्त भरणपोषण भत्ते की अधिकतम सीमा दस हजार रुपए प्रतिमास नियत की गई है और ऐसे भत्ते के अतिरिक्त ब्याज के लिए भी उपबन्ध किया गया है परन्तु राज्य अधिनियम अधिकतम पांच हजार रुपए प्रतिमास के भरणपोषण भत्ते के लिए उपबन्ध करता है। किन्तु ऐसे भत्ते पर ब्याज देने का उपबन्ध इसमें नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय अधिनियम दावों के शीघ्रता से निपटारे के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया के अनुसरण करने

और स्वप्रेरणा से कार्रवाई करने का उपबन्ध करता है। राज्य अधिनियम के अधीन जिला न्यायाधीश अपीलीय प्राधिकारी है, जबकि केन्द्रीय अधिनियम के अधीन जिला मजिस्ट्रेट को अपीलीय प्राधिकारी बनाया गया है। इसलिए राज्य अधिनियम के उपलब्धों को केन्द्रीय अधिनियम के समरूप बनाने के आशय से जिला न्यायाधीश के स्थान पर जिला मजिस्ट्रेट को ''अपीलीय प्राधिकारी'' अभिहित करना प्रस्तावित किया गया है। केन्द्रीय अधिनियम, अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करने के लिए दण्ड का भी उपबन्ध करता है और केन्द्रीय अधिनियम के अधीन अपराध संज्ञेय और जमानतीय है। अतः राज्य अधिनियम को, केन्द्रीय अधिनियम के अनुरूप बनाने के लिए राज्य अधिनियम में केन्द्रीय अधिनियम के उपबन्धों को उपयुक्त रूप से सम्मिलित करने का विनिश्चय किया गया है ताकि दोनों अधिनियमों के बीच असंगति को दूर किया जा सके। इसलिए हिमाचल प्रदेश माता–पिता और आश्रित भरणपोषण अधिनियम, 2001 में संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

शिमला :
तारीख....., 2010

(सरवीण चौधरी)
प्रभारी मन्त्री।

———————

वित्तीय ज्ञापन

–शून्य–

———————

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 17 इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार को नियम बनाने के लिए सशक्त करता है।

BILL NO. 14 OF 2010

THE HIMACHAL PRADESH MAINTENANCE OF PARENTS AND DEPENDANTS (AMENDMENT) BILL, 2010

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY**)**

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Maintenance of Parents and Dependants Act, 2001(Act No. 19 of 2001).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-first Year of the Republic of India.

Short title.

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Maintenance of Parents and Dependants (Amendment) Act, 2010.

Substitution of long title.

2. For the existing long title of the Himachal Pradesh Maintenance of Parents and Dependants Act, 2001(herein after referred to as the "principal Act"), the following shall be substituted, namely :—

"An Act to provide for more effective provisions for the maintenance and welfare of parents, dependants and senior citizens guaranteed and recognized under the Constitution and for matters connected therewith or incidental thereto.".

Amendment of section 1.

3. In section 1 of the principal Act ,–

(a) in sub-section (1), for the words "of parents", the words and sign "and Welfare of Parents, Senior Citizens" shall be substituted ; and

(b) in sub-section (3), the words "except Muslims" shall be omitted.

Amendment of section 2.

4. In section 2 of the principal Act,–

(a) clauses (a), (b) , (c) and (h) shall be omitted;

(b) for clause (e), the following clause shall be substituted, namely :—

"(e) "Maintenance Officer" means the maintenance officer appointed under section 13;" ;

(c) for clause (i), the following clause shall be substituted, namely :—

"(i) "Tribunal" means the Maintenance Tribunal established under section 14;" ; and

(d) after clause (i), as so substituted, the following new clauses shall be inserted, namely :-

"(j) "children" includes son, daughter, grandson and grand-daughter but does not include a minor;

(k) "maintenance" includes provision for food, clothing, residence and medical attendance and treatment;

(l) "parent" means father or mother whether biological, adoptive or step father or step mother, as the case may be, whether or not the father or the mother is a senior citizen;

(m) "relative" means any legal heir of the childless senior citizen who is not a minor and is in possession of or would inherit his property after his death;

(n) "senior citizen" means any person being a citizen of India, who has attained the age of sixty years or above ; and

(o) "welfare" means provision for food, health care, recreation centers and other amenities necessary for the senior citizens.".

Substitution of section 3.

5. For section 3 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely :—

"3. Act to have overriding effect.– The provisions of this Act shall have effect notwithstanding anything inconsistent therein contained in any enactment other than this Act.".

Substitution of section 4.

6. For section 4 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely :—

"4. Maintenance of parents, senior citizens and dependants.— (1) A senior citizen, parent or dependent who is unable to maintain himself from his own earning or out of the property owned by him, shall be entitled to make an application under section 5 in case of—

(i) parent or grand-parent, against one or more of his children not being minor;

(ii) a childless senior citizen, against such of his relative referred to in clause (m) of section 2; and

(iii) dependent, against such person who is liable to maintain such dependent.

(2) The obligation of the children or relative, as the case may be, to maintain a senior citizen extends to needs of such senior citizen, so that such senior citizen may lead a normal life.

(3) The obligation of the children to maintain his or her parent extends to the needs of such parent, either father or mother or both, as the case may be, so that such parent may lead a normal life.

(4) Any person being a relative of a senior citizen and having sufficient means shall maintain such senior citizen provided he is in possession of the property of such senior citizen or he would inherit the property of such senior citizen:

Provided that where more than one relatives are entitled to inherit the property of a senior citizen, the maintenance shall be payable by such relative in the proportion in which they would inherit his property.

(5) It shall be obligation of—

(i) husband in case of wife;

(ii) father or mother in case of minor son or unmarried daughter ; and

(iii) the person who take the share, in case of dependent (other than a parent, grand parent, wife, minor son or unmarried daughter) if such dependent has not obtained, by testamentary of intestate succession, any share in an estate of his ancestor ;

to maintain such dependent so that such dependent may lead a normal life.".

Substitution of section 5.

7. For existing section 5 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—

"5. Application for maintenance.— (1) An application for maintenance under section 4, may be made—

(a) by a senior citizen, a parent or a dependent, as the case may be; or

(b) if he is incapable, by the organisation authorised by him; or

(c) the Tribunal may take cognizance suo moto.

Explanation.—For the purpose of this section "organisation" means any voluntary association registered under the Societies Registration Act, 1860, or the Himachal Pradesh Societies Registration Act, 2007 or any other law for the time being in force and notified as such, by the State Government, for the purpose of this Act.

(2) The Tribunal may, during the pendency of the proceeding regarding monthly allowance for the maintenance under this section, order such person children or relative to make a monthly allowance for the interim maintenance of such senior citizen, parent or dependent,

as the case may be, and to pay the same to such senior citizen including parent or dependent as the Tribunal may from time to time direct.

(3) On receipt of application for maintenance under sub-section (1), after giving notice of the application to the respondent and after giving the parties an opportunity of being heard, hold an inquiry for determining the amount of maintenance.

(4) An application filed under sub-section (2) for the monthly allowance for the maintenance and expenses for proceeding shall be disposed of within ninety days from the date of service of notice of the application :

Provided that the Tribunal may extend the said period, once for a maximum period of thirty days in exceptional circumstances for reasons to be recorded in writing.

(5) An application for maintenance under sub-section (1) may be filed against one or more persons :

Provided that such person, children or relative, as the case may be, may implead the other person liable to maintain parent in the application for maintenance.

(6) Where a maintenance order was made against more than one person, the death of one of them shall not affect the liability of others to continue paying maintenance.

(7) Any such allowance for the maintenance and expenses for proceeding shall be payable from the date of the order or, if so ordered, from the date of the application for maintenance or expenses of proceeding, as the case may be.

(8) If a person, children or relative so ordered fail, without sufficient cause to comply with the order, any such Tribunal may, for every breach of the order, issue a warrant for levying the amount due in the manner provide for levying fines, and may sentence such person for the whole, or any part each month's allowance for the maintenance and expenses of proceeding, as the case may be, remaining unpaid after the execution of the warrant, to imprisonment for a term which

may extend to one month or until payment if sooner made whichever is earlier:

Provided that no warrant shall be issued for the recovery of any amount due under this section unless application be made to the Tribunal to levy such amount within a period of three months from the date on which it became due. ".

8. For section 6 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely :— Substitution of section 6.

"6. Jurisdiction and procedure .– (1) The proceedings under section 5 may be taken against a person children or relative in any district—

(a) where he resides or last resided; or

(b) where children or relative resides.

(2) On receipt of application under section 5, the Tribunal shall issue a process for procuring the presence of such person children or relative against whom the application is filed.

(3) For securing the attendance of such person, children or relative, the Tribunal shall have the power of a Judicial Magistrate of first class as provided under the Code of Criminal Procedure, 1973.

(4) All evidence to such proceedings shall be taken in the presence of such person, the children or relative against whom an order for payment of maintenance is proposed to be made, and shall be recorded in the manner prescribed for summons cases:

Provided that if the Tribunal is satisfied that any person, children or relative against whom an order for payment of maintenance is proposed to be made is willfully avoiding service, or willfully neglecting to attend the Tribunal, the Tribunal may proceed to hear and determine the case ex- parte.

(5) Where such person, children or relative is residing out of India, the summons shall be served by the Tribunal through such authority, as the Central Government, may, by notification in the official Gazette, specify in this behalf.

(6) The Tribunal before hearing an application under section 5 may, refer the same to a Conciliation Officer and such Conciliation Officer shall submit his findings within one month and if amicable settlement has been arrived at, the Tribunal shall pass an order to that effect.

Explanation.—For the purposes of this sub-section "Conciliation Officer" means any person or representative of an organisation referred to in Explanation to sub-section (1) of section 5 or the Maintenance Officer designated by the State Government under section 13 or any other person nominated by the Tribunal for this purpose. ".

Amendment of section 7.

9. In section 7 of the principal Act, in sub-section (1), for the words "five thousand", the words "ten thousand" shall be substituted.

Insertion of new section 8 A.

10. After section 8 of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely :—

" 8 A. Summary procedure in case of inquiry.— (1) In holding any inquiry under section 5, the Tribunal may, subject to any rules that may be prescribed in this behalf, follow such summary procedure as it deems necessary.

(2) The Tribunal shall have all the powers of Civil Court for the purpose of taking evidence on oath and for enforcing the attendance of witnesses and for compelling the discovery and production of documents and material objects and for such other purposes as may be prescribed; and the Tribunal shall be deemed to be a Civil Court for all the purposes of section 195 and Chapter XXVI of the Code of Criminal Procedure, 1973.

(3) Subject to any rule that may be made in this behalf, the Tribunal may, for the purpose of adjudicating and deciding upon any claim for maintenance, choose one or more persons possessing special knowledge of any matter relevant to the inquiry to assist it in holding the inquiry.".

Amendment of section 9.

11. In section 9 of the principal Act ,—

(a) in sub-section (2), for clause (d), the following clause shall be substituted, namely :—

"(d) any other person or organization referred to in section 5(1); or"; and

(b) after sub-section (3), the following sub-section shall be inserted, namely :—

"(3A) If children or relatives , as the case may be, neglect or refuse to maintain senior citizen being unable to maintain himself, the Tribunal may on being satisfied of such neglect or refusal, order such children or relatives to make a monthly allowance at such monthly rate for the maintenance of such senior citizen, as the Tribunal may deem fit and to pay the same to such senior citizen as the Tribunal may, from time to time, direct.".

Amendment of section 11.

12. In section 11 of the principal Act, after sub-section (6), the following sub-section shall be inserted, namely :—

" (7) A copy of maintenance order and including the order regarding expenses of proceedings, as the case may be , shall be given without payment of any fee to the senior citizen or to the parent or the dependent, as the case may be, in whose favour it is made.".

Insertion of new section 12 A.

13. After section 12 of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely :—

"12 A. Option in certain cases. —Notwithstanding anything contained in Chapter IX of the Code of Criminal Procedure, 1973, where a senior citizen or a parent or a dependent is entitled for maintenance under the said Chapter and also entitled for maintenance under this Act, may, without prejudice to the provisions of Chapter IX of the said Code, claim such maintenance under either of those Acts but not under both.".

Substitution of section 15.

14. For section 15 of the principal Act, the following sections shall be substituted, namely:—

"15. Deposit of maintenance allowance.—when an order is made under this Chapter, the children or relative who is required to pay any amount in terms of such order, shall, within thirty days of the date of announcing the order by the Tribunal, deposit the entire amount ordered, in such manner as the Tribunal may direct.

15 A. Award of interest where any claim is allowed.—Where any Tribunal makes an order for maintenance under this Act, such Tribunal may direct that in addition to the amount of maintenance, simple interest shall also be paid at such rate and from such date not earlier than the date of making the application as may be determined by the Tribunal which shall not be less than five percent and not more than eighteen percent. ".

Insertion of new section 16 A.

15. After section 16 of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely :—

"16 A. Appeals.— (1) Any senior citizen or a parent or a dependent, as the case may be, aggrieved by an order of the Tribunal, may, within sixty days from the date of the order, prefer an appeal to the District Magistrate:

Provided that on appeal any person, children or relative, as the case may be, who is required to pay any amount in terms of such maintenance order, shall continue to pay to such parent the amount so ordered, in the manner directed by the District Magistrate :

Provided further that the District Magistrate may, entertain the appeal after the expiry of the said period of sixty days, if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from preferring the appeal in time.

(2) On receipt of an appeal, the District Magistrate shall, cause a notice to be served upon the respondent.

(3) The District Magistrate may call for the record of proceedings from the Tribunal against whose order the appeal is preferred.

(4) The District Magistrate may, after examining the appeal and the records called for, either allow or reject the appeal.

(5) The District Magistrate shall, adjudicate and decide upon the appeal filed against the order of the Tribunal and the order of the District Magistrate shall be final:

Provided that no appeal shall be rejected unless an opportunity has been given to both the parties of being heard in person or through duly authorised representative.

(6) The District Magistrate shall make an endeavour to pronounce its order in writing within one month of the receipt of an appeal.

(7) A copy of every order made under sub-section (5) shall be sent to both the parties free of cost.".

Substitution of section 17.

16. For existing section 17 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely :—

"17. Right to legal representation.—Notwithstanding anything contained in any other law, no party to a proceeding before a Tribunal or District Magistrate shall be represented by a legal practitioner. ".

Insertion of new sections 19 A , 19 B, 19C, 19 D, 19E, 19 F, 19 G, 19 H, 19 I, and 19 J

17. After section 19 of the principal Act, the following new sections shall be inserted, namely :—

"19 A. Measures for publicity, awareness etc. for welfare of senior citizen.—The State Government shall, take all measures to ensure that—

(i) the provisions of this Act are given wide publicity through public media including television, radio and the print at regular interval;

(ii) The State Government Officers including officers of the Law Department dealing with legal and legislative matters, Executive Magistrates, police officers and members of the judicial service, are given periodic sensitization and awareness training on the issues relating to this Act;

(iii) effective co-ordination between the services provided by the concerned departments dealing with law, home affairs, health and welfare, to address the issues relating to the welfare of the senior citizens and periodical review of the same is conducted.

19 B. Authority who may be specified for implementing the provisions of this Act.—(1) The State Government may, confer such powers and impose such duties on a District Magistrate as may be necessary to ensure that the provisions of this Act

are properly carried out and the District Magistrate may specify the officer subordinate to him, not below the rank of Additional District Magistrate, who shall exercise all or any of powers, and perform all or any of the duties, so conferred or imposed and the local limits within which such powers or duties shall be carried out by the officers as may be prescribed.

(2) The State Government shall prescribe a comprehensive action plan for providing protection of life and property of senior citizens.

19 C. Exposure and abandonment of senior citizen.— Whosoever, having the care or protection of senior citizen, leaves such senior citizen, in any place with the intention of wholly abandoning such senior citizen, shall be punishable with imprisonment of either description for a term which may extend to three months or with fine which may extend to five thousand rupees or with both.

19 D. Cognizable offence.— (1) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973, every offence under this Act shall be cognizable and bailable.

(2) An offence under this Act shall be tried summarily by a Magistrate.

19 E. Officers to be public servants. —Every officer or staff appointed to exercise functions under this Act shall be deemed to be a public servant.

19 F. Jurisdiction of civil courts barred .— No Civil court shall have jurisdiction in respect of any matter to which any provision of this Act applies and no injunction shall be granted by any Civil Court in respect of anything which is done or intended to be done by or under this Act.

19 G. Protection of action taken in good faith. — No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the State Government or the local authority or any officer of the Government in respect of anything which is done in good

faith or intended to be done in pursuance of this Act and any rules or orders made thereunder.

19H. Power to remove difficulties.— If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order published in the Official Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act, as appears to it to be necessary or expedient for removing the difficulty:

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two years form the date of commencement of this Act.

19 I. Power to make rules.—(1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the purpose of this Act.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters :—

(a) the manner of holding inquiry under section 5 subject to such rules as may be prescribed under sub-section (1) of section 8A;

(b) the power and procedure of the Tribunal for other purposes under sub-section (2) of section 8A;

(c) the scheme for management of old age homes, including the standards and various types of services to be provided by them which are necessary for medical care and means of entertainment to the inhabitants of such homes under sub-section (2) of section 19A;

(d) the powers and duties of the authorities for implementing the provisions of this Act, under sub-section (1) of section 19D;

(e) a comprehensive action plan for providing protection of life and property of senior citizens under sub-section (2) of section19D; and

(f) any other matter which is to be, or may be prescribed.

(3) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of State Legislature, where it consists of two houses or where such legislature consists of one house, before that house.

19 J. Transitional Provisions.—All appeals pending before the Appellate Authority (District Judge) under this Act on the date of commencement of the Himachal Pradesh Maintenance of Parents and Dependents (Amendment) Act, 2010, shall stand transferred to the District Magistrate concerned having jurisdiction.".

Omission of sections 20, 21, 22 and the SCHEDULE.

18. Sections 20, 21, 22 and the SCHEDULE appended to the principal Act shall be omitted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In our society the maintenance of aged parents had been a matter of great concern and of personal obligation arising from existence of relationship and quite independent of the possession of any property, ancestral or acquired. Our ancient seers held this obligation on the higher pedestal by declaring that "the aged mother and father, the chaste wife and the infant child must be maintained even by doing a hundred misdeeds" . Recently the father of our Constitution through Directive Principles of the State Policy, contained in article 38 and 41, together with other provisions, have wisely laid the main objective, namely, the building of a welfare State and egalitarian social order by making effective provision for securing public assistance in case of old age, sickness and disablement and in other cases of undeserved want.

In developing age of science and technology our old virtues are giving way to materialistic and separatelistic tendencies. Younger generation is neglecting their wives, children and aged and infirm parents who are now being left beggared and destitute on the scrap-heap of society and thereby driven to a life of vagrancy, immorality and crime of their subsistence.

In view of increasing incidences of neglect of the aged and infirm parents and dependents in the society and to compel them to perform their moral obligations which they owe to the society in respect of their families, parents and children, the Government of Himachal Pradesh was pioneered a law in the country by enacting the Himachal Pradesh Maintenance of Parents and Dependants Act, 2001.

Now, the Government of India has also enacted a similar legislation namely, The Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007. The objective of both legislations are similar in nature, however, Central Act is more comprehensive and also provide for maintenance of senior citizen, comprehensive action plan for providing protection of life and property of senior citizens and also apply to the Muslims, whereas the State Act does not apply to the Muslims. Further, the maximum limit of maintenance allowance has been fixed to Rs. 10,000/- per month and provision of interest has been made in addition to such allowance but the State Act provides for a maximum maintenance allowance of Rs. 5000/- per month without having the provision for award of interest on such allowance. Further, the Central Act provides for speedy disposal of claims by following summary procedure and suo moto actions. Under the State Act, the District Judge is the appellate authority, whereas, under the Central Act, the District Magistrate has been made the appellate authority. Thus, in order to make the provisions of State Act in consonance with the Central Act, it has been proposed to designate the District Magistrate as the "appellate authority" in place of District Judge. The Central Act also provides for punishment for contravention of the provisions of the Act and

the offences under the Central Act are cognizable and bailable. Now, it has been decided to bring the State Act in conformity with the Central Act by suitably incorporating the provisions of the Central Act in the State Act so as to remove the inconsistency between two Acts. This has necessitated amendments in the Himachal Pradesh Maintenance of Parents and Dependents Act, 2001.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Shimla:
The_____, 2010.

SARVEEN CHAUDHARY,
Minister –in-Charge.

FINANCIAL MEMORANDUM

—NIL—

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 17 of the Bill seeks to empower the State Government to make rules for carrying into effect the provisions of this Act.